कार्यालय सहायक संचालक मछली पालन
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)

☎ 07741–232998, ई–मेलः fishkwdh@gmail.com

क्रमांक/1265/स.सं.म.पा./तक./2015–16 कबीरधाम,दिनाँक.08-12-2015

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषय :– जिले के शासकीय वेबसाईड के अद्यतन किये जाने हेतु आवश्यक डाटा उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक 884/एन.आई.सी./वेबसाईड/2015 कबीरधाम दिनांक 04.12.2015

–00–

विषयांतर्गत निवेदन है कि, संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. ईमेल आईडी – fishkwdh@gmail.com
2. संपर्क सूत्र – 07741–232998
3. संचालित शासकीय योजनाओं का विवरण पत्र के साथ सहसंलग्न (2) प्रेषित है।

सहायक संचालक मछली पालन
जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

मछली पालन विभाग में संचालित जन कल्याणकारी योजनायें

1.सहकारी समितियों को अनुदान :–

(अ) पंजीकृत मछुवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने के लिये अनुदान मछुआ सहकारी समिति ऋण/अनुदान नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है। योजना अन्तर्गत समितियों को 3 वर्षों में 25000 का मत्स्य बीज इनपुट्स नाव जाल एवं पट्टा राशि आदि पर अनुदान देने का प्रावधान है।

(ब) पंजीकृत मछुवा सहकारी समिति सभी वर्ग को नवीन योजनांतर्गत 03 वर्षो मे 3.00 लाख अनुदान का प्रावधान लीज ,खाद, बीज नाव, जाल, हेतु 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत का प्रावधान है।

2–शिक्षण–प्रशिक्षण :–

योजनान्तर्गत कृषकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, 10 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 1250/– रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय में प्रशिक्षण में आने–जाने का वास्तविक व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्यय 100/– तथा 75/– प्रतिदिन दैनिक भत्ता की दर से रुपये 750/–तथा रू. 400/– का नायलोन धागा प्रदान किया जाता है।

3– मछुआरों का अध्ययन भ्रमण :– प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर नवीन तकनीक के अध्ययन हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

3. झींगा सह मत्स्य पालन :–

योजनान्तर्गत अनु. जाति एवं अनु जन जाति कृषक को 3 वर्षों में राशि रुपये 15,000/– का अनुदान क्रमशः 75, 50 एवं 25 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

4.मत्स्याखेट उपकरण हेतु अनुदान :– योजनान्तर्गत अनु.ज.जा. एवं सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को मत्स्याखेट उपकरण प्रदान करने रू. 10,000 तक अनुदान देने का प्रावधान है।

5.मौसमी तालाब में मत्स्य बीज संचयन :–

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति./जन जाति के हितग्राहियों को पट्टे पर आबंटित मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन करने रू. 30,000/– का अनुदान मत्स्य बीज स्पान एवं इनपुट्स जाल आदि वस्तुविशेष के रूप में प्रदान की जाती है।

6. फिंगर लिंग मत्स्य बीज क्रय कर संचयन पर अनुदान :–

(अ) योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में स्वीकृत नवीन योजना अन्तर्गत अनु.जन जाति / अनुसूचित जाति / सामान्य जाति के कृषकों को उनके तालाब में मत्स्य बीज फिंगरलिंग क्रय कर संचयन हेतु 3 वर्षों में रू. 6100 की सहायता का प्रावधान है, जिसमें 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत अनुदान देय है। इसी तरह सामान्य मत्स्य पालक को 3 वर्षों में 75 प्रतिशत 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

(ब) नवीन योजनांतर्गत सभी वर्ग के कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर फिंगरलिंग बीज प्रदाय किया जाता है । प्रति हे. रू. 4000/– पर रू. 2000/– अनुदान देते है।

7.फुटकर मछली विक्रय योजना :–

योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति मछुवों को हाट–बाजार में फुटकर मछली विक्रय कर जीविकोपार्जन हेतु रू. 6,000/– का आईस बॉक्स तौल तराजू सेट, कटर चापर, बाल्टी आदि अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। उक्त योजना के कियान्वयन के लिये निम्नानुसार मद में राशि वर्ष

2–राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यकम :–

1– अल्प अवधि बचत सह राहत योजना :–
योजनान्तर्गत जलाशय में कार्य करने वाले मछुओं को 900/– रुपये जमा करने पर बंद ऋतु में शासन द्वारा रुपये 1800/–का अंशदान दिया जाता है। जिसे बंद ऋतु में तीन माह तक प्रति माह 900/– प्रति माह आजीविका चलाने हेतु भुगतान किया किया जाता है।

2–दुर्धटना बीमा :–

योजनान्तर्गत मत्स्य पालन से जुडे मछुओं का निःशुल्क दुर्धटना बीमा किया जाता है। जिसमें आंशिक विंकलांगता पर राशि रुपये 1,00,000/– लाख एंव दुर्धटना में मृत्यू पर 2.00 लाख रुपये की राशि उसके उत्तराधिकारी को प्रदाय की जाती है। योजनान्तर्गत जिला कबीरधाम के 11300 मछुआरों का निःशुल्क दुर्धटना बीमा वर्ष 2014–15 में कराया गया है।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत :–

1. समन्वित एवं परिपूरक आहार प्रदाय :–
योजनान्तर्गत पट्टे पर आबंटित हितग्राहियों को ग्राम पंचायत के तालाब 1.00 हे. से 5.000 हे. के तालाबों में मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए रू. 10,000/– का परिपूरक आहार वस्तुविशेष के रूप में प्रदान की जाती है।

2. पंजीकृत सहकारी समितियों को अनुदान :–
योजनाअन्तर्गत पंजीकृत मछुवा सहकारी समितियों को रू. 1.00 लाख का मत्स्याखेट उपकरण नाव जाल क्रय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

3.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मौसमी तालाब में मत्स्य बीज संचयन :–
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मौसमी तालाबों में सामान्य/अनुसूचित जाति./जन जाति के हितग्राहियों को अनुदान राशि 0.30 लाख एंव हितग्राही का अशंदान 0.10 लाख योग 0.40 लाख प्रति यूनिट पट्टे पर आबंटित मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन करने हेतु

4– स्वंय की भूमि में तालाब निर्माण योजनान्तर्गत :– एन.एम.पी.एस. योजनान्तर्गत 0.400 हैक्टर से 5.000 हैक्टर तालाब की निर्माण लागत रुपये 5.00 लाख प्रति हैक्टर पर 40 प्रतिशत 2.00 लाख का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। जिले को 7.000 हैक्टर जलक्षेत्र निर्माण के लक्ष्य प्राप्त हुये है।

4–एक्वाकल्चर योजना :–

1– पौण्ड कल्चर योजनान्तर्गत अनुदान :–
योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत से मछली पालन हेतु पटटे पर लिये तालाबों में 1.000 हैक्टर जलक्षेत्र पर रुपये 0.50 लाख के ऋण प्रकरण पर अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत एंव सामान्य जाति के हितग्रहियों को 20 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। तथा तालाब पुनरूद्धार हेतु रू. 75000/– हजार प्रति हे. ऋण पर भी 20/25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

टीप :– वर्तमान मे डी.बी.टी. के तहत आदान प्रदान की जा रही है।

सहायक संचालक मछली पालन
जिला – कबीरधाम (छ.ग.)